भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2122

दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य सबंधी सूचना तक पहुंच के लिए एलएलएम का उपयोग

2122. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी किए गए उस वक्तव्य का संज्ञान लिया है, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि स्वास्थ्य संबंधी सूचना तक पहुंच में सुधार करने के लिए निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में अथवा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और असमानता को कम करने के लिए अल्प-संसाधन वाले क्षेत्र में नैदानिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) का उपयोग करते समय जोखिमों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या पहल की गई है/किए जाने का विचार है कि एलएलएम में कुछ सबसे तेजी से उभरते ऐसे प्लेटफार्म शामिल है जो समझ, प्रसंस्करण और मानव संप्रेषण का अनुकरण करते हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग): कृत्रिम बुद्विमता (एआई) से लार्ज लैंग्वेज मॉडल टूल्स (एलएलएम) उत्पन्न हुए हैं जिनमें चैटजीपीटी, बार्ड, बर्ट और कई अन्य जैसे सबसे तेजी से उभरते ऐसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो समझ, प्रसंस्करण और मानव-सम्प्रेषण का अनुकरण करते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में स्वास्थ्य में एआई आधारित सॉल्यूशनों के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम्स दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और एम्स ऋषिकेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है।

नीति आयोग ने भारत के लिए एआई के बारे में दो एप्रोच डाक्यूमेंट, फरवरी 2021 में "उत्तरदायी एआई" एप्रोच डाक्यूमेंट और अगस्त 2021 में "उत्तरदायी एआई के लिए प्रचालन सिद्धांत" प्रकाशित किए हैं।

भारत सरकार ने सुदृढ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इसमे निम्नलिखित शामिल है:

- 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपीए) में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के इस तरीके से संसाधित करने का प्रावधान किया गया है जिससे डेटा न्यासियों द्वारा विधिसम्मत उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता को पहचाना जा सके । इसके अलावा, इस अधिनियम में व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार का भी प्रावधान किया गया है।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण के अन्य माध्यमों, जिन्हें आमतौर पर 'इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स' कहा जाता है, के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें सरकारी एजेंसियों के साथ दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने के लिए सुगम बनाने हेतु सम्प्रेषण और सूचना के भंडारण के लिए कागज-आधारित तरीकों के विकल्पों का उपयोग शामिल है।

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत कई दिशानिर्देश और विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जो डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करती हैं। इनमें स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति, डेटा प्राइवेसी पॉलिसी और एबीडीएम स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर), मोबाइल ऐप प्राइवेसी पॉलिसी शामिल हैं।

****